न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 77/2007

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1– देवीसिह पुत्र भूरसिंहजी जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी मीरपुर तहसील व जिला सिरोही राज के मृतक के कायम मुकाम वारिसान 1/1– खुमानसिंह पुत्र देवीसिंहजी सोलंकी 1/2– ईश्वरसिंह पुत्र देवीसिंहजी सोलंकी 1/3– श्रीमति सुगनकंवर बेवा देवीसिंहजी सभी जाति राजपूत निवासी मीरपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– वादीगण की ओर से विद्वान वकील श्री हंसराज पुरोहित
2– प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार(नायब तहसीलदार कालन्द्री)

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188 राज.काश्त.अधि. 1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने स्थाई प्रतिषेधात्मक निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14 –1–2020

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत वास्ते प्राप्त करने स्थायी प्रतिषेधात्मक निषेधाज्ञा का विरूद्व स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे दिनांक 15–9–2007 को पेश किया, जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि ग्राम मीरपुर पटवार हल्का धान्ता तहसील व जिला सिरोही मे वादीगण की निम्न कृषि आराजी मय बेरा खातेदारी मालकी एवं कब्जे काश्त का आया हुआ है जिसके राजस्व खाता संख्या 100 संवत 2063 से 2066 की चालू जमाबंदी के अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

उपरोक्त खाता की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उपरोक्त कृषि आराजी स्वर्गीय देवीसिंह पुत्र भूरसिंहजी सोलंकी साकिन मीरपुर को दिनांक 24–6–1962 को मौजा मीरपुर के खसरा नंबर 170 मे 11 बीघा भूमि बरसाली का आवंटन हुआ था । आवंटी देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जी राजपूत साकिन मीरपुर का दिनांक 20–2–2006 को बमुकाम मीरपुर देहान्त हो चुका है। वादीगण कमांक 1/1 व 1/2 व 1/3 स्वर्गीय देवीसिंह साकिन मीरपुर के कायम मुकाम एवं विधिक प्रतिनिधि है। जो मृतक देवीसिंह की खातेदारी की कृषि आराजी पर बतौर उत्तराधिकारी टिनेन्ट होकर काबिज काश्त है। उक्त आराजी पर मौके पर सिंचाई हेतु बेरा निर्मित है तथा ज्वार एवं रजगा जिन्स 2063 मे बोई हुई है। गत भू–प्रबन्ध संवत 2058 से 2062 मे मृतक देवीसिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नंबर 170 रकबा 11 बीघा बंजर मोजा मीरपुर पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही के वर्तमान खसरा नंबर 725/386 रकबा 1.7800 हेक्टेयर नये नाप व सीमांकन मे राजस्व खाता संख्या 100 संवत 2063–2066 की चालू जमाबंदी खतोनी मे दर्ज हुई है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे आगे यह उल्लेख किया है कि वादीगण के पूर्व रसाधिकारी स्वर्गीय श्री देवीसिंह साकिन मीरपुर को मोजा मीरपुर तहसील

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

सिरोही के खसरा नंबर 170 मे 11 बीघा आवंटन वर्ष 1962 मे हुआ था। खसरा नंबर 170 मौजा मीरपुर गत भू माप मे संबंधित नक्शा ट्रेस मे तरमीम नही था । तत्पश्चात गत भू–प्रबन्ध मे खसरा नंबर 170 की तरमीम हुई तथा पुराने खसरा नंबर 170 के नये खसरा नंबर मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 384 से 395 बने एवं तरमीमशुदा नक्शा ट्रेस मे वादीगण के वर्तमान खसरा नंबर 725/386 का अंकन सआशय या बद्नीयतीपूर्ण रूप से भूप्रबन्ध कर्मचारियों ने नही किया। जबकि वादीगण एवं इनके पूर्व रसाधिकारी मृतक देवीसिंह उक्त प्रश्नगत आराजी पर बतौर खातेदार कृषक वर्ष 1962 से मृत्युपर्यन्त वर्ष 2006 तक एवं तत्पश्चात उनके वारिसान वादीगण उत्तराधिकारी आज तक बतौर खातेदार टिनेन्ट काबिज काश्त है। वादीगण व उनके पूर्व रसाधिकारी वर्ष 1962 से विधिक अधिकारिता के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत गत 45 वर्षो से प्रश्नगत कृषि आराजी पर जो उक्त वादग्रस्त आराजी दर्ज है उस पर बतौर खातेदार कृषक के काबिज काश्त है। वादीगण प्रश्नगत कृषि आराजी के खातेदार काश्तकार विधिक रूप से है तथा उक्त भूमि उचित रूप से मोके पर सीमांकित एवं मेडबंदी है तथा उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज मृतक देवीसिंह को आवंटन के पूर्व अनाधिकृत सरकारी बिलानाम भूमि थी। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ग्राम मीरपुर के पटवार हल्का धान्ता के पटवारी एवं सम्बन्धित भू.अ.नि. वादीगण व उनके पूर्व रसाधिकारी गत 45 वर्षो से बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त होने के बावजूद गत सैटलमेण्ट मे भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस मे बिना तरमीम कार्यवाही की बिनाय पर वादीगण खातेदार काश्तकार की भूमि के उपयोग एवं अधिकारों के खिलाफ संवत 2062 से आपत्ति करते है तथा उनके खातेदारी हको को चुनौती देते फिरते है। जिससे प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी प्रतिषेधात्मक निषेधात्मक का वाद प्रस्तुति का आधार बना है। वादीगण का स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश विरूद्व प्रतिवादी प्राप्त करने का प्रथम दृष्टयॉ केस है। वादग्रस्त कृषि आराजी वादीगण के कब्जे काश्त मे बतोर खातेदार टिनेन्ट की हैसियत से कब्जे मे है। एवं प्रतिवादी एवं उसके नुमाईन्दे वादीगण की खातेदारी की भूमि के उपयोग एवं अधिकारों के खिलाफ आपत्ति करने के साथ उनके खातेदारी अधिकारों को भूप्रबन्ध मे नक्शा ट्रेस मे बिना तरमीम होने की बिनाय पर चुनौती वर्ष 2062 से देते है। सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष मे है। वादीगण प्रश्नगत आराजी जो दर्ज है के खातेदार कृषक है तथा आराजी मुतनाजा पर बतौर पुश्तैनी कृषि भूमि के काबिज है। वादीगण के पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही करने पर उन्हे अपूरणीय व अपूरक क्षति होगी जिसका मूल्यांकन भी सम्भव नही है। वादीगण के वाद पेश करने का कारण प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2062 से निरन्तर वादीगण को उनके खातेदारी कृषि आराजी खसरा नंबर 725/386 (पुराना खसरा नेअर 170) मौजा मीरपुर तहसील सिरोही से प्रतिवादी द्वारा बेदखली की धमकी देने से पैदा हुआ है। अतः वादीगण का यह वाद स्वीकार फरमाकर वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आश्य की पारित करावे कि वो वादीगण के खातेदारी कृषि आराजी खसरा नंबर 725/386 रकबा 1.7800 हेक्टेयर से बेदखली नही करें ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2063–2066 खाता संख्या 100 मौजा मीरपुर पटवार हल्का धान्ता, नक्शा ट्रेस ग्राम मीरपुर, मिलान क्षैत्रफल खसरा नंबर 170 गत भू नंबर म्यूटेशन नंबर 664 दि 15–11–2003 नक्शा ट्रेस पुराना खसरा नंबर 170 ग्राम मीरपुर मोमिया ट्रेस नक्शा की छाया प्रति, धारा 80 सीपीसी का नोटिस की प्रतियों का अवलोकन करने पर वादपत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 5–9–2007 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाबदावा पेश करने हेतु सम्मन जारी किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 30–10–2017 को प्रतिवादी स्टेट को जारी सम्मन कमांक 2148 दिनांक 18–9–2007 तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही हुये लेकिन पेरोकार सरकार ने हाजिर होकर स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिये गये जिस पर प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक विधि/08/179 दिनांक 31–3–2008 के द्वारा जवाबदावा इस न्यायालय मे दिनांक 9–1–2009 को पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में मौके व रिकार्ड की स्थिति अनुसार रिपोर्ट बाबत नायब तहसीलदार सिरोही की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाकर रिपोर्ट चाही गई जो दिनांक 31.5.2013 को तहसीलदार सिरोही से इस न्यायालय को प्राप्त हुई

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

जिसे शामिल मिसल किया गया। संलग्न मौका फर्द अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नंबर 725/386 रकबा 1.78 हैक्टेयर जो खुमानसिंह , ईश्वरसिंह पि. देवीसिंह ,सुगनकंवर पत्नी देवीसिंह जातियान राजपूत निवासी मीरपुर के नाम से दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नंबर श्रीमती कोयली देवी पत्नी गणेशरामजी सीरवी वगैरह का वर्तमान में कब्जा काश्त है एवं मौके पर खडाई की हुई पायी गई एवं खुमानसिंह ईश्वरसिह पि.देवीसिंहजी वगैरह का कब्जा खसरा 395 रकबा 3.46 हैक्टेयर में से 1.78 हैक्टेयर पर कब्जा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नंबर 395 श्रीमती कोयली पत्नी गणेशरामजी सीरवी के नाम से दर्ज है। भूप्रबन्ध के पूर्व खसरा नंबर 170 था जिसके नये खसरा नंबर 384,385,386,725/386, 386/722,387 से 395, 397 बने है। उक्त खसरा नंबर 725/386 व 395 भी 170 से ही बनना जाहिर है। खसरा नंबर 170 रकबा 11 बीघा भूमि पर 1962 से कब्जा काश्त है जिसका नया नंबर 725/386 रकबा 1.78 हेक्टेयर है जिस पर कुआं खोदा हुआ है।

दिनांक 29–8–2011 को विचारण प्रकरण मे वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही के जवाबदावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वादीगणग्राम मीरपुर पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही के खसरा नंबर 725/386 रकबा 1.7800 हेक्टेयर के खातेदार वर्ष 1962 से खातेदार कृषक होकर काबिज काश्त है तथा मौके पर कुआ खोदा हुआ है ? ————————जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही खसरा नंबर 725/386 रकबा 1.78 हेक्टेयर के सम्बन्ध मे स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है,? ————————जिम्मे वादीगण

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 12–12–2011 को वकील वादीगण ने साक्ष्य वादी मे श्री ईश्वरसिंह तथा गोविन्दराम रावल के शपथ पत्र पेश किये जिन्हे शा. मि. किये गये जिन पर जिरह पैरोकार सरकार द्वारा दि 21–2–2017 को करने के बाद उक्त शपथ पत्रों को शा.मि. किया गया। श्री ईश्वर पुत्र देवीसिंह ने जिरह में बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा 395 रकबा 1.78 हैक्टेयर पर पूर्व में हमारे पिताजी ने सिंचाई हेतु कुआ भी खुदवाया था। फिलहाल कुयें में पानी नहीं होने से आसन्न हमारी खातेदारी खसरा नंबर 180 नये में स्थित बोरवेल से सिंचाई की जाती है। वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि के आधे भाग में गेहूँ की फसल बोई हुई है। यह कहना गलत है कि कोयली देवी पत्नी गणेशरामजी सीरवी वगैरह का कब्जा काश्त कभी भी इस भूमि पर रहा हो। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 395 में श्रीमती कोयली देवी पत्नी गणेशराम सिरवी के नाम से दर्ज है जबकि हम वादीगण के नाम सेटलमेंट पूर्व पुराने खसरा नंबर 170 से नये भूप्रबन्ध के दौरान नवनिर्मित खसरा नंबर 386 पर हमारा कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। एवं तत्पश्चात दर्ज नये खसरा नंबर 725/386 का राजस्व नक्शे में अंकन भी नहीं है तथा न ही हमने इस भूमि को देखा है। अन्य साक्ष्य वादी श्री गोविन्दराम पुत्र दानाजी रावल निवासी मीरपुर ने अपने जिरह में कथन किया कि मैं स्वर्गीय देवीसिंहजी को भली भांति जानता हूँ। वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा देवीसिंहजी एवं उनके पश्चात उनके पुत्रों का कब्जा काश्त आज भी मौके पर मौजुद है। वादग्रस्त भूमि पर कुआ खुदा हुआ है जिस पर पानी नहीं होने से इसके निकट खातेदारी से सिंचाई की गई है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 16–9–2019 को दौराने सुनवाई वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी आगे नही कराने से न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी बंद की गई तथा दौराने सुनवाई पत्रावली देखने पर पाया कि साक्ष्य प्रतिवादी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 5–1–2018 से पैरोकार व स्टेट तहसीलदार सिरोही को बार बार साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर देने के बावजूद करीब डेढ साल से साक्ष्य नही कराने से न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी स्टेट की बन्द की गई। दिनांक 1–10–2019 को न्यायालय मे विचारण वाद अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट पर वकील वादी तथा प्रतिवादी स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई। इस न्यायालय मे दिनांक 10–1–2020 को पुनः संक्षिप्त मजीद बहस वकील वादीगण तथा प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार की बहस सुनी गई। हमने विचारण वाद की संपूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील वादीगण तथा पैरोकार

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं 77/2007.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1– देवीसिह पुत्र भूरसिंहजी जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी मीरपुर तहसील व जिला सिरोही राज के मृतक के कायम मुकाम वारिसान		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही
1/1– खुमानसिंह पुत्र देवीसिंहजी सोलंकी		
1/2– ईश्वरसिंह पुत्र देवीसिंहजी सोलंकी		
1/3– श्रीमति सुगनकंवर बेवा देवीसिंहजी सभी जाति राजपूत निवासी मीरपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही		

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित वादी गण वकील श्री हंसराज पुरोहित तथा प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) उपस्थित। वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन करने तथा विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड की प्रतियों के गहनतापूर्वक मनन पश्चात वादीगण का यह वाद अ.धा. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 14–1–2020 मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

मुद्वाई	रू	पैसे	मुद्वायलाह	रू	पैसे
स्टॉम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टॉम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
मुतफरीक			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मौजान			मौजान		

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.20 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: